न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 32/2025 निर्णय दिनांकः– 14-08-25
(जीसीएमएस संख्या 2025/136)

1. गणेशाराम (मृतक)
   - 1/1 श्रीमती खेमी देवी पत्नी स्व. गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी भरूपावा
   - 1/2 प्रभुराम पुत्र स्व. गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी भरूपावा
   - 1/3 श्रीमती कमला देवी पुत्री स्व. गणेशाराम पत्नी शिवराम निवासी भरूपावा
   - 1/4 श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व. गणेशाराम पत्नी पप्पूराम जाति मेघवाल निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. फूसाराम (मृतक)
   - 2/1 श्रीमती धापूदेवी पत्नी स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।
   - 2/2 भंवरलाल पुत्र स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।
   - 2/3 तुलसी पुत्री स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 13 मोटावता खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
   - 2/4 सायर पुत्री स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 13 मोटावता खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
   - 2/5 रामस्वरूप पुत्र स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।
   - 2/6 परमेश्वरी पुत्री स्व. फूसाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
   - 2/7 मंगली पुत्री स्व.फूसाराम पत्नी मघाराम जाति मेघवाल निवासी कुचौर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
   - 2/8 बजरंग लाल पुत्र पुत्र स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।
   - 2/9 धर्मचंद पुत्र स्व. फूसाराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. हड़मानराम पुत्र स्व. खेताराम जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।
4. श्रीमती शांतिदेवी पुत्र स्व. खेताराम पत्नी गंगाराम जाति मेघवाल निवासी बीजरवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. श्रीमती अणदी देवी पुत्री स्व. खेताराम पत्नी गंगाराम जाति मेघवाल निवासी बीजरवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. श्रीमती मूली देवी बेवा स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
7. श्रीमती मांग देवी पुत्री स्व. मोहनलाल (मृतक)
   - 7/1 नत्थूराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बड़ी जस्सोलाई, बीकानेर।
   - 7/2 आनंद कुमार पुत्र श्रीमती मांगूदेवी उर्फ मंगली जाति मेघवाल निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बड़ी जस्सोलाई, बीकानेर।
   - 7/3 श्रीमती माया पत्नी मुकेश पुत्री श्रीमती मांगूदेवी उर्फ मंगली जाति मेघवाल निवासी भोलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
   - 7/4 श्रीमती तुलसी पत्नी ताराचंद पुत्री श्रीमती मांगूदेवी उर्फ मंगली जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
   - 7/5 कुमारी पिंकी उम्र 12 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता नत्थूराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेघवाल निवासी जस्सुसर गेट के बाहर, बड़ी जस्सोलाई, बीकानेर।
8. देवाराम पुत्र स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
9. कन्हैयालाल पुत्र स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
10. श्रीमती संतोष पुत्री स्व. मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
11. श्रीमती मोहिनी बेवा स्व. पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
12. प्रभुराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी सागर, रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर।
13. श्रीमती राधा पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला, जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

14. श्रीमती कमला पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी श्री हड़मानराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला, जामसर तहसील व जिला बीकानेर।
15. श्रीमती अनिता पुत्री स्व. पुरखाराम पत्नी श्री मधुराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालो का मोहल्ला, जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. गौरीशंकर (मृतक)
   1/1 उमाशंकर पुत्र श्री गौरीशंकर जाति पुरोहित निवासी झंवरो का चौक, बाहर गुवाड़ के पास, बीकानेर
   1/2 श्रीमती सरिता पत्नी दुर्गाशंकर पुत्र गौरीशंकर जाति पुरोहित निवासी झंवरो का चौक, बाहर गुवाड़ के पास, बीकानेर
2. श्रीरतन पुत्र रामलाल जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर
3. हरीरतन पुत्र रामलाल जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर
4. श्यामसुन्दर पुत्र शिवशंकर जाति पुरोहित निवासी झंवरो का चौक, बाहर गुवाड़ के पास, बीकानेर
5. हरीशंकर पुत्र तुलछीराम जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर
6. विजयशंकर पुत्र तुलछीराम जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर
7. रविशंकर पुत्र तुलछीराम जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर
8. तुलसी पत्नी भवानीशंकर जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

9. जयशंकर पुत्र भवानीशंकर जाति ब्रहामण पुरोहित निवासी रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर हाल मोहल्ला झंवरो का चौक, बारह गुवाड़ के पास, बीकानेर
10. मु. मैना पत्नी यासीन खां जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
11. यासील खां पुत्र करणे खां जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
12. अमित मालावत पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
13. सुमित मालावत पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
14. मु. रूबीना पत्नी अमित मालावत जाति मुसलमान कलाल (मालावत) निवासी कुचीलपुरा तहसील व जिला बीकानेर।
15. श्रीमती शारदा धारीवाल पत्नी अशोक धारीवाल जाति धारीवाल निवासी 1 डागा बिल्डिंग महात्मा गॉधी के.ई.एम. रोड़, बीकानेर।
16. तेजभान बलाना पुत्र हुकमचंद बलाना निवासी 1–डी–91, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर
17. अनूज कुमार पुत्र स्व. पूर्णचंद जाति नागपाल निवासी एफ–1–34–जी.के. –1, नई दिल्ली।
18. पेमाराम जाट पुत्र पन्नाराम जाति सारण (जाट) निवासी करमीसर, बीकानेर।
19. गांधी विघा मंदिर, तहसील सरदारशहर जिला चुरू जरिये रजिस्ट्रार श्री आर.एस.त्रिपाठी पुत्र श्री अभिलाष त्रिपाठी निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
20. मैसर्स सी.आर.डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड लैण्ड डवलपर्स जरिये भागीरथ रामलाल दफ्तरी बाबा रामदेव रोड़ पुरानी लाईन, गंगाशहर, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

21. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, बीकानेर।

स्टेच्युअरी रेस्पोडेन्ट

22. श्रीमती जोरा देवी पुत्र स्व. उतमाराम पत्नी अनोपाराम जाति मेघवाल निवासी भीमनगर, बीकानेर।

–प्रोफोर्मा रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–1972
उपखण्ड अधिकारी उतर, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 20
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 07–10–1972 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट सं. 1 गौरीशंकर तथा रेस्पोडेंटान सं. 2 से 9 के पूर्वज रामलाल, तुलसाराम एवं भंवानीशंकर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा घोषणात्मक खातेदारी हकूक बाबत् खसरा नम्बर 59 तादादी 50 बीघा 2 बिस्वा ग्राम रायसर तहसील बीकानेर जिसके हाल/ बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 01=0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 = 11.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 189=0.55 हैक्टेयर पैमूद हुए हैं। अपीलांट सं. 1 गणेशाराम एवं स्वर्गीय खेताराम, हीराराम, मु नाम नामालूम बेवा उतमाराम के विरूद्ध दिनांक 06.09.1971 को पेश किया। अगली तारीख पेशी दिनांक 16.10.1971 के फर्द अहकाम में यह लिखा गया कि अपीलांटान पर तामील सम्मन चस्पानगी से हो चुकी है। इससे अगली तारीख पेशी 06.11.1971 के फर्द अहकाम में अपीलांटान के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा का आदेश देकर पत्रावली सबूत में रखी जाकर 05.10.1972 की पेशी पर गौरीशंकर, सुखराम व नंदलाल के बयान लेकर दो दिन पश्चात् 07.10.1972 को बहस हेतु रखी गई। 07.10.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1972 को बिना बहस सुने, पत्रावली पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है।

वाद दर्ज रजिस्टर होने की अगली तारीख पेशी पर विधि विरुद्ध चस्पानगी की तामील मानकर अपीलांटान की अनुपस्थिति अंकित कर दी है इस तारीख पेशी 16.10.1971 में एस.डी. ओ. साहब का ट्रांसफर हो चुका बताकर फर्द अहकाम पर तत्कालीन तहसीलदार बीकानेर के लघु हस्ताक्षर करवाये गये प्रतीत होते है। यद्यपि अगली तारीख 06.11.1971 को उपखण्ड अधिकारी श्री पी.सी. सिंघवी आर.ए.एस. के हस्ताक्षर ही फर्द अहकाम पर है। दावा रजिस्टर भी प्रथम पेशी पर उन्हीं के हस्ताक्षरों से है। 06.11.1971 के फर्द अहकाम में तामील होनी बताकर इकतरफा कार्यवाही अपीलांटान के खिलाफ गलत व विधि विरूद्ध की गई है।चस्पानगी से तामील समन्स का कोई प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलांटान के पूर्वज स्व. उत्तमाराम वादगत भूमि के मिसल बन्दोबस्त संवत् 2006 एवं जमाबंदी सं. 2011 से 2014 के रेकॉर्डड सब टीनेन्सी थे और उन्हें धारा 19 राज, टीनेन्सी एक्ट के तहत सौ प्रतिशत सही व कानूनी आधार पर खातेदारी स्वीकृत कर इन्तकाल नं. 16 के जरिये बहैसियत खातेदार दर्ज किया गया था। मातहत अदालत में रेस्पोडेंट गौरीशंकर के बयानों में खतौनी पैमाईश संवत् 2006 प्रदर्श–1 का हवाला दिया गया है। अदालत में उक्त खतौनी पेशी नहीं हुई है और हुई भी थी, तो प्रदर्श–1 में उतमाराम की बतौर उपकाश्तकार की इन्द्राज के मध्यनजर वादीगण के दावे के खिलाफ सबूत था। ग्राम रायसर का मुतवातिर राजस्व रिकॉर्ड संवत् 2006 से संधारित होता चला आ रहा है, लेकिन संवत् 2012 व पश्चात्वर्ती कोई जमाबंदी (रिकॉर्ड ऑफ राईट्स) पेश नहीं हुआ। टीनेन्सी के अधिकार का अभिलेख Record of Rights जमाबंदी होती है एवं टाईटल के सम्बन्ध खसरा गिरदावरी का कोई महत्व नहीं होता। जहां तक गवाहान का सवाल है कोई खेत पड़ौसी या रायसर ग्राम का वासिन्दा पेश नहीं हुआ है। सिर्फ रिडमलसर पुरोहितान जो रायसर से बहुत दूर है के गवाह सुखदेव पुरोहित व नन्दलाल के इकतरफा बयान लेकर । खाना पूर्ति की गई है। वादगत भूमि के उत्तर पश्चिम या किसी भी दिशा में दूर या नजदीक कथित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सुखदेव पुरोहित व नंदलाल पुरोहित की कोई कृषि भूमि कभी नहीं रही और रेस्पोडेंट के रिश्तेदार होने के कारण साजिश के तहत इन गवाहों के झूठे बयान करवाये गये है। विरासतन इन्तकाल नं. 142 दिनांक 12.03.1975 के जरिये स्व. उतमाराम के जायज वारीसान व कानूनी कायम मुकामान पुत्र /पुत्रीगण खेताराम, गणेशाराम, पुरखाराम एवं मु. जोरा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हुआ। उक्त इन्तकाल नं. 142 व राजस्व रेकॉर्ड के चलते, उनकी पीठ पीछे अमलामाल से साज बाज कर गौरीशंकर वगैराह ने इन्तकाल नं. 145 दर्ज करवा लिया जिसके कालम नं. 14 में महज तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.02.1974 हवाला अंकित है व और न्यायालय की डिक्री या उसके दिनांक का कोई हवाला नहीं है। यह कि अपीलांट के पूर्वज 145 के कॉलम से. 5 में दर्ज नेता वगैराह के इन्द्राज को बदलने का कोई आदेश भी नहीं है और उन्हें सुने बिना, वादगत भूमि के कड़ना कारत की मौके की रिपोर्ट के बिना इस तरह का इन्द्राज सरासर विधि विरूद्ध है। 10. 03.1995 के गैर कानूनी वैद्यनामा के आधार पर श्रीमती मैना वगैरह जाति मालावत ने उक्त भूमि का इन्तकाल नं. 20 अपने नाम दर्ज करवा लिया और फिर आगे वैयनामा होकर अनेकानेक लोग अमलामाल से सांठ–गांठ अपने नाम वादगत भूमि का इन्द्राज बिना कब्जा अपने नाम करवाते चले।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद पर बहस करते हुए कथन किया कि यह कि जानकारी मिलने पर वादधार व कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 10. 04. 2011 को उत्पन्न होने पर अपीलांटान के द्वारा रेस्पोंडेंटान और खरीददारान के विरूद्ध इन्तकाल नं. 1.45 तथा तदआधारित राजस्व रिकॉर्ड एवं पश्चातवर्ती विक्रय पत्रों तथा तद आधारित राजस्व रेकॉर्ड की प्रविष्टियों को अपीलांटान के खातेदारी हकूकों के समक्ष प्रारंभतः विधि विरुद्ध, शून्य व बेअसर घोषित करने हेतु वाद तहत धारा 88, 89,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश किया गया जिसमें रेस्पोडेंट सहित कुल 22 रेस्पोडेंटान है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट सं. 15 एवं 20 क्रमशः शारदा धारीवाल बीकानेर एवं मैसर्स सी.आर.डी. इन्फास्ट्रक्चर एण्ड लैण्ड डवलपर्स जरिये रामलाल दफ्तरी गंगाशहर ने बिना जवाब दावा पेश किये एक सरासर Vague प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2011 को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत पेश कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांटान ने उज पेश किया कि प्रार्थना पत्र में महज बार्ड बाई लॉ एवं कॉफ ऑफ एक्शन के शब्दों की भ्रमात्मक, गोलमाल भाषा उपयोग की गई है। कोई तथ्यात्मक कारण व आधार ना होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने की मांग की गई है। उक्त प्रार्थना

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र पर बहस दिनांक 26.02.2014 को हुई व निर्णय 28.02.2014 को करना बताया लेकिन अपीलांटान को अवगत बाद में 05.03.2014 को किया गया। उक्त बहस में डिक्री जैर प्रार्थना पत्र के द्वारा श्री तिवाड़ी एडवोकेट जिक्र करने पर और उक्त निर्णय पर न्यायालय ए.सी.एम. दिनांक 06.03.2014 को नकल निर्णय मिलने पर मानलीय न्यायालय में दिनांक 13.03.2014 को नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.1972 हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। नकल प्रार्थना पत्र कार्यालय में गुम हो जाने के कारण अपीलांटान की ओर से पुनः दिनांक 02.04.2014 को प्रार्थना पत्र पेश कर नकल निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई। तारीख इल्म दिनांक 05.03.2014 से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। जो समय लगा है उसमें अपीलांट की कोई लापरवाही नहीं है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार कर डिले कण्डोन फरमाये।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2011(1) पेज संख्या 602, आर.आर.डी. 1985 पेज संख्या 163, आरआरडी 1992 पेज संख्या 239, आरआरसी 1997 पेज संख्या 339, आरआरडी 1992 पेज संख्या 598, प्रस्तुत कर कथन किये कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए। मियाद अवधि जानकारी के दिन से शुरू होगी साथ ही शुरू से शुन्य आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रकरण को मियाद के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस में कथन करते हुए कहा कि आराजी जैर अपील के संबंध में दावा संख्या 108/1971 अनवानी गौरीशंकर वगै बनाम खेताराम वगे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उतर, बीकानेर के समक्ष पेश हुआ जो दिनांक 07–10–1972 को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया तथा गौरीशंकर वगैरह को खातेदार घोषित किया गया। अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उतर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 07–10–1972 के विरूद्ध दिनांक 04–04–2014 को पेश की है जो 42 वर्षो के बाद पेश की है जबकि कानून में अपील पेश करने की अवधि 60 दिन निर्धारित की हुई है। इसलिए अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है। अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1964 पेज संख्या 338, आरएलडब्ल्यु 2006 पेज संख्या 873, पेश किये। उन्होने आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलांट ने अपने द्वारा प्रस्तुत अपील में 42 वर्ष की मियाद को कंडोन करने का कारण अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत मुकदमा अनवानी गणेशाराम बनाम श्रीरतन में आदेश 7 नियम 11 के आदेश को लिया है जबकि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.1972 पारित किया जाने के समय से ही रही है लेकिन अपीलांट के पूर्वज उतमाराम का स्वर्गवास संवत् 2008 में ही हो चुका था एवं अपीलांट व अपीलांट के पूर्वज का आराजी जैर अपील पर कभी कब्जा नही रहा है इसलिए अपीलांट ने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.1972 की अपील पेश नहीं की लेकिन भूमियों के भाव को बढते देख आदेश 7 नियम 11 में पारित आदेश का हवाला देकर अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 325/2011 में वकील अपीलांट की उपस्थिति में दिनांक 03.07.2013 को रेस्पोडेन्ट ने निर्णय दिनांक 07.10.2025 की प्रति पेश की है जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 03.07.2013 में है एवं न्यायालय की आदेशिका के सही होने की उपधारणा है। उन्होने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पेज संख्या 1, पेश की। उन्होने आगे कथन करते हुए कहा कि अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी होने के बावजूद अपीलांट ने विहित अवधी में अपील पेश नही की है तथा दिनांक 03.07.2013 को जानकारी होने के बाद भी 04.04.2014 को अपील पेश की है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वेग व अस्पष्ट है। अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण तथ्य मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के लिए लिखे है इनमें कोई सत्यता नही है। तथा संतोषप्रद कारण की परिभाषा में नही आते है जहॉ पर मियाद कंडोन करने के लिए संतोषप्रद कारण नही हो वहॉ पर अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना चाहिए। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1955 पेज संख्या 252, डीएनजे 1999 पेज संख्या 56, आरआरडी 1980 एनयूसी 20, आरआरटी 2004(2) पेज संख्या 1219, आरआरटी 2004(1) पेज 576, आरआरटी 2014(1) पेज 154, आरआरटी 2011(1) पेज 614, आरआरटी 2007(2) पेज 939, आरबीजे 2000 पेज 71, एआईआर 1998 पेज 2276, आरआरटी 2006(2) पेज 1171, आरआरडी 1995 पेज 456 पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में झुठे तथ्य अंकित किये है कि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी नही रही। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य झुठे है। ऐसी झुठी कहानी के आधार पर मियाद कंडोन नही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत करता है तो उसेक खिलाफ न्यायालय को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टात आरबीजे 2005 पेज 132, आरआरडी 1994 पेज संख्या 697 बी, पेश किये।

परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त उदार तरीके से काम में लिये जाने चाहिए परन्तु इसका मतलब यह नही होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नही रहे और दूसरे व्यक्ति के हक में पैदा हुये अधिकारो को हनन करने का मौका सिर्फ इस आधार पर दिया जाये कि उसे ज्ञान नही था। साम्य दोनो पक्षकारो के बीच तय करना जरूरी होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुमेरसिंह बनाम मेसर्स पुष्पा मोटर्स व अन्य आरएलडी 2000 (2) पेज 258 पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस जारी करते हुए कथन किये कि कानूनन मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जानी चाहिए। मियाद को केवल इस आधार पर कंडोन नही करना चाहिए कि उसे मेरिट पर निर्णित किया जा सके। रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज संख्या 164 बी पेश किया। काननू का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश जो इलिगल हो उस पर भी मियाद अधिनियम लागू होता है। कोई भी व्यक्ति इस आधार पर कि आदेश अविधिक है मियाद अधिनियम का लाभ प्राप्त नही कर सकता। अभिभाषक रेस्पोडेनट ने न्यायिक दृष्टात आरआरडी 1991 पेज संख्या 164, आरआरडी 1989 पेज संख्या 500 पेश किये।

अभिभाषक अपीलाट ने आगे कथन किया कि मौके पर अपीलांट या अपीलांट के पूर्वजो का संवत 2008 से कब्जा काश्त नही है ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली के साथ है जो अपीलांट का मौका पर कब्जा साबित करता हो । ऐसी स्थिति में निर्णय व डिक्री परिवर्तित होने पर भी बिना कब्जे के घोषणा नही की जा सकती है। इस कारण अदालत मातहत कानूनन गुणावगुण पर भी अपीलांट को कोई अनुतोष प्रदान नही कर सकती है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरआरडी 1989 पेज संख्या 528 बी, एआईआर पेज संख्या 2014 एसएसी, पेज संख्या 904, पेश किये। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट ने आदेश जैर अपील दिनांक 07–10–1972 को निरस्त करवाने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। कानूनन एक ही आदेश के संबंध में दो अलग अलग न्यायालय में कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलांट द्वारा जब निर्णय व डिक्री की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी है तो काननू उसे अपील में सम्मनो की तामीलो के सम्बन्ध में आपत्ति उठाने का अधिकार हासिल नही रहता है। उन्हे कानूनन अपील की मेरिट पर ही बहस करनी चाहिए। अपने समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1972 पेज संख्या 192, आरआरडी 1995 पेज संख्या 718, आरएलडब्लयु 1953 पेज संख्या 473 पेश किये। अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण से पहले मियाद के बिन्दु को तय किया जाना है। मियाद के सम्बन्ध में निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है–

1– **क्या अपील अन्दर मियाद है अथवा नही?**

2– **क्या अपील पेश करने में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किये गये है अथवा नही?**

3– **क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक तो नही है?**

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–10–1972 को पारित किया गया जबकि हस्तगत अपील दिनांक 04–04–2014 को प्रस्तुत की गई है। निर्णय व डिक्री की अपील पेश करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है। जबकि यह अपील **लगभग 42 वर्ष** पश्चात् प्रस्तुत की गई। अतः अपील मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार **(1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.**

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार–

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period."

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायालय मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करेगा। वही धारा 5 यह प्रावधित किया गया है कि यदि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि

"We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

" sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term " Sufficient cause" has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause."

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील लगभग **42 वर्षों के पश्चात्** प्रस्तुत की गई है। विलम्ब की यह अवधि अत्यधिक है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणो से इन 42 वर्षों के विलम्ब के संबंध में कोई संतोषप्रद समाधान इस न्यायालय को नही होता है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अपना कब्जा होना अभिकथित करता है। इस स्थिति में यह संभव नही है कि 42 वर्षों तक उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी ना रही हो। अपीलांट का विलम्ब के संबंध में यह कथन कि *"अपीलांट अनपढ़, व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है।"* इतनी अत्यधिक विलम्ब अवधि के संबंध में पर्याप्त कारण नही माना जा सकता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट प्रकरण संख्या 325/2011 में पक्षकार के रूप में संयोजित था। साथ ही इस वाद में रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी की और से आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 26–02–2014 को बहस हुई तथा दिनांक 28–02–2014 को निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में यह अभिकथित किया है *"कि उक्त बहस में डिक्री जैर प्रार्थना पत्र के द्वारा श्री तिवाड़ी एडवोकेट के जिक करने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई।"* परन्तु प्रकरण संख्या 325/2011 की पत्रावली में इसकी आदेशिका दिनांक 03–07–2013 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा फॉर्म नम्बर 3 के साथ में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश की प्रति दिनांक 03–07–2013 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई थी। न्यायालय की आदेशिका के सही होने की उपधारणा की जाती है। दिनांक 03–07–2013 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। इस स्थिति में अपीलांट इस तथ्य से इंकार नही कर सकते कि इस दिन भी उन्हे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हुई।

अगर अपीलाधीन आदेश की दिनांक 07–10–1972 से 03–07–2013 तक की अवधि के विलम्ब को जानकारी के अभाव में माफ भी कर दिया जाए तो भी अपीलांट को दिनांक 03–07–2013 से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 04–04–2014 तक की अवधि हेतु संतोषप्रद कारण दर्शित करना होगा। क्योकि मियाद अधिनियम के प्रावधान औपचारिकता मात्र नही है। विलम्ब हेतु प्रत्येक दिन का कारण दर्शित करना जरूरी है। अपीलांट द्वारा के दिनांक 03–07–2013 पश्चात् हुए विलम्ब के संबंध में भी ऐसा कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही किया है जिससे कि न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब की परिस्थितिया इस प्रकार थी जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो। 42 वर्ष विलम्ब की अवधि एक अत्यन्त दीर्घ अवधि है। परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त उदार तरीके से काम में लिये जाने चाहिए परन्तु इसका मतलब यह नही होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नही रहे। न्यायिक दृष्टांत सुमेरसिंह बनाम मेसर्स पुष्पा मोटर्स व अन्य आरएलडी 2000 (2) पेज 258 यहॉ पूर्णतया चस्पा होते है।

विलम्ब की अत्यधिक अवधि (42 वर्ष) एवं इस दीर्घ अवधि के विलम्ब के संबंध में पर्याप्त/संतोषप्रद कारण न होने से इसे अन्दर मियाद शुमार नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 (2) आर.जे. पेज संख्या 949 के आलोक में जहॉ अपील मियाद बाहर हो वहॉ गुणावगुण पर विचार नही किया जा सकता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 14-08-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह सनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर